मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-11

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2008 (फाल्गुन 22, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 116 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 103 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों तथा श्री अर्जुन पलिया, सदस्य द्वारा गर्भगृह में आकर लालटेनों का प्रदर्शन किया गया एवं नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा इस अनुचित व्यवहार पर आपत्ति व्यक्त की गई। कुछ समय बाद सदस्यगण वापस अपने आसनों पर गए तथा बहिर्गमन किया)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लायसेंस के अवैध रूप से दवाई की दुकानें चलाई जाने;

(2)डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में नकली पेट्रोल बेचे जाने;

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के विकास खण्ड स्तरीय अनुसूचित जाति, जनजाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास सिरमौर में पदस्थ अधीक्षक का भ्रष्ट आचरण होने;

(4) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य की खातेगांव व्हाया सतवास मार्ग के जर्जर होने तथा पीपलकोट नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने;

(5) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की सनावद से जिला मुख्यालय खरगोन मार्ग के ग्राम बैडिया से पिपलगोन कसरावद मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग का संधारण (मरम्मत) न होने;

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम हतुनिया में हाई स्कूल खोले जाने;

(7) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा तहसील राजस्व के ग्राम जौरा में पुलिस थाने की स्थापना की जाने;

(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की जबलपुर नगर की घनी आबादी वाले अन्धेरदेव से नरघैया मार्ग पर पॉलिथिन फैक्ट्री से होने वाले वायु प्रदूषण से रहवासियों का रहना दूभर होने;

(9) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य की बालाघाट जिले के बालाघाट विकास खंड अंतर्गत ग्राम मानेगांव में स्थित पोहा मिल से ग्राम में गंदगी फैलने तथा

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में दीनदयाल उपचार योजना पुस्तिका हितग्राहियों को न दिए जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी गई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का पांचवा एवं छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 एवं 2006-2007,

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-3-99-बत्तीस, दिनांक 25 अगस्त, 2007,

(3) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू", राज्यमंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां),

(4) सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 तथा

(5) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (क्रमांक 43 सन् 1954) की धारा 50 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 6-2-2005-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 23 जनवरी, 2008,

पटल पर रखे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न एवं मिट्टी का तेल न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अखण्ड प्रताप सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री ओम प्रकाश खटीक, बीरेन्द्र रघुवंशी तथा के.पी. सिंह, सदस्यों ने शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र में पेयजल संकट होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि तृतीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा एवं मतदान हेतु दिनांक 13 मार्च, 2008 को 2 घंटे 30 मिनिट का समय नियत किया गया है।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री दीवान सिंह पटेल, सभापति ने याचिका समिति का नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां एवं तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. वक्तव्य

(1) कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्रमांक 347) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(2) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने दिनांक 2 अगस्त, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक 1101) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(1) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या - 23	जल संसाधन के लिए सात सौ सत्ताईस करोड़, बीस लाख, छियासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए बीस करोड़, छः हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए चार सौ इक्यावन करोड़, सात लाख, साठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए चार सौ पांच करोड़, सत्तावन लाख, उनासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तीन सौ पचास करोड़, चौबीस लाख, छः हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 23	2, 4
मांग संख्या - 40	1
मांग संख्या - 44	1, 4, 6
मांग संख्या - 45	1
मांग संख्या - 57	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री हरवंश सिंह

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए।

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री किशोर समरीते

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री बाबूलाल महाजन
(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(8) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(10) डॉ. नारायण परमार
(11) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(12) श्री इन्द्रजीत कुमार

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(13) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण
(14) श्री आरिफ अकील
(15) श्री दिलीप सिंह परिहार
(16) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(17) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(18) श्री दरबूसिंह उइके

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(19) श्री नानालाल पाटीदार
(20) डॉ. गोविन्द सिंह
(21) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(22) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(23) श्री अर्जुन पलिया
(24) श्री ओमप्रकाश पुरोहित
(25) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
(26) श्री सत्यदेव कटारे
(27) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(28) श्री राजेश पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(जल संसाधन विभाग की मांगों को मत-विभाजन से पारित करने की मांग करते हुए सर्वश्री सत्यदेव कटारे, आरिफ अकील, नारायण त्रिपाठी, बंशमणि प्रसाद वर्मा, रामलखन शर्मा, किशोर समरीते, सदस्यगण गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् आसंदी के निर्देश पर अपने आसन पर वापस गए। श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) सुश्री कुसुम सिंह मेहदेले, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च,2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 34	समाज कल्याण के लिए उनचास करोड़, बत्तीस लाख, सत्तासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या - 35	महिला एवं बाल विकास के लिए छः सौ सत्रह करोड़, तिहत्तर लाख, नवासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 34	2, 6
मांग संख्या - 35	1, 7, 10

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री लाल सिंह आर्य
(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(3) श्रीमती शशि ठाकुर

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(5) श्री उमाशंकर गुप्ता
(6) श्री किशोर समरीते
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

सुश्री कुसुम सिंह मेहदेले, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 7 वाणिज्यिक कर के लिए सात सौ पैंतीस करोड़, चौरासी लाख, नवासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 7	8, 10

9. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यक कर मंत्री की मांग पर कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की गई।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

10. बधाई

श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य को पी.एच.डी. की उपाधि मिलने पर बधाई

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा उल्लेख किया गया कि श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य को विधान सभा की कार्यप्रणाली संबंधी विषय पर पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य को सदन की ओर से बधाई दी गई।

11. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

मांग और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.38 बजे विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 (फाल्गुन 23, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.